रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112021-231333
CG-DL-E-24112021-231333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2021/अग्रहायण 3, 1943
No. 673]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2021/AGRAHAYANA 3, 1943

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 832(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय में पुन:स्थापन सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय पुन: स्थापन सहायक भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि :** उक्त पद हेतु भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय निधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों की कोई बात, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और उन अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
पुन:स्थापन सहायक	2 (2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-ख अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर-6, (35400-112400/- रु.)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
तीस वर्ष से अधिक नहीं। **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक आयु शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य का	**अनिवार्य :** 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला में स्नातक डिग्री; और 2. सीनियर सेंकडरी परीक्षा स्कूल (10+2) में रसायन विज्ञान के एक विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। **अनुभव :** किसी संग्रहालय या कला गैलरी या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पुन:स्थापन कार्य में न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव। **वांछनीय :** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुन:स्थापन में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) कम्प्यूटर (एमएस ऑफिस) का ज्ञान **टिप्पण 1 -** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्ह होने की स्थिति में कारणों को लिखित में लेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष।

लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	**टिप्पण 2 -** अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

(10)	(11)	(12)	(13)
भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया; जाएगा
50 प्रतिशत संयुक्त विधि द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है), एवम् (प्रोन्नति), 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	संयुक्त विधि [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) सहित पदोन्नति] :- केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठन या अर्द्ध-सरकारी संगठन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों में कार्यरत ऐसे अधिकारी :– (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300 रु.) में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् छः वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों। टिप्पण 1 : जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300/- रुपए) में नियमित आधार पर नियुक्ति पर उस श्रेणी में की गई 6 वर्ष की सेवा की हो सहित विभागीय तकनीकी पुन:स्थापक के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के आधार पर विचार किए जाने के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभव रखते हों पर भी विचार किया जाएगा तथा इसके साथ बाह्य उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा यदि उनका चयन पद पर नियुक्ति के लिए होता है तो उक्त पद को पदोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।	समूह-ख विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय– अध्यक्ष 2. निदेशक, या उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय- सदस्य; और 3. निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय– सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	टिप्पण 2 : विद्यमान विभागीय तकनीकी पुन: स्थापक के लिए इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर उपर्युक्त टिप्पण 1 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव को धारित करना अपेक्षित नहीं होगा। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक अनुबंध भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण- 4 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. M-I-27/19/2020-M-I]

लिली पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2021

G.S.R. 832(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Restoration Assistant in the National Gallery of Modern Art, Ministry of Culture, namely:-

1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Ministry of Culture, National Gallery of Modern Art, Restoration Assistant, Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix . - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public

Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection post or Non-Selection post.	Age limit for Direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruit.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Restoration Assistant.	2(2021) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted (Non-Ministerial).	LEVEL-6 (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years. Note:1 Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: 2 The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the Union Territory, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba	Essential : (i) Bachelor's Degree in Fine Arts from a recognised University or Institute. (ii) Should have passed at least Senior Secondary School (10+2) examination with Chemistry as one of the subjects. Experience: At least two years experience in restoration work in a Museum or Art Gallery or Any recognised institution. Desirable : (i) Master's Degree in Restoration from Recognised University or Institute. (ii) Computer Knowledge (MS Office) Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, For reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

					district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in whichUnion Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Applicable.	Two years for direct recruits.	50% by Composite Method [Deputation (including short term contract) Plus Promotion], 50% by direct recruitment.	Composite Method [Deputation (including short term contract) plus Promotion]. Officers under Central or State Governments or Union territories administration or Autonomous bodies or Statutory Organisations or Semi Government Organisations or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Universities: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with Six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in Level-5 (Rs. 29200-92300/-) in pay matrix or equivalent in the Parent Cadre or department and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). Note 1: The Departmental Technical Restorer in Level-5 (Rs. 29200-92300/-) in pay	Group'B' Departmental Confirmation Committee (for consideration of Confirmation) consisting of : 1. Director General, National Gallery of Modern Art – Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Culture- Member; and 3. Director, National Gallery of Modern Art – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

			matrix with six years service in the grade rendered thereto on appointment on a regular basis and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on Deputation basis shall also be considered alongwith outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by Promotion. Note 2: Existing Departmental Technical Restorer on the date of notification of these rules will not be required to possess the educational qualification and experience prescribed in Note 1 above. Note 3 : Period of deputation (Including Short Term Contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 4: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No. M-I-27/19/2020-M-I]

LILY PANDEYA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.24 22:15:58 +05'30'